न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—03/2023 (2023/35) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—चान्दी पत्नि बरदा भील निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भगवानलाल पिता बरदा भील निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नाथुलाल पिता मांगु बलाई निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मंसुरी — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—27.06.2023

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम टोकरा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1021 रकबा 0.63 है0, आराजी संख्या 1022 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि खाता संख्या 109 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजी में संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 1026 जो बिलानाम गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज है जिससे होते हुए रास्ता ग्राम टोकराकाखेड़ा से लगता हुआ होकर आगे विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 1023 की उत्तरी पूर्वी पाली पर होते हुए आगे इसी आराजी संख्या की उत्तरी पाली पर होते हुए प्रार्थीगण की आराजी पर आवागमन करते है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच का मार्ग है एवं मौके पर उक्त रास्ता बना हुआ है। रास्ते के दोनो तरफ थोहर की बाड़ लगी हुई है। विपक्षी संख्या 1 ने अपनी आराजी संख्या 1023 में बने हुए रास्ते को अवरूद्व कर उस पर कांटे की छड़िया लगाकर बन्द कर दिया है तथा प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा कारित कर दी है जिससे प्रार्थीगण आराजी में में नही जा पा रहे है। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को डरा धमकाकर रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने की धमकी देते हुए रास्ते को अवरूद्व कर दिया है। प्रार्थीगण की आराजी में पहुॅच का उक्त रास्ता नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है उक्त रास्ता 20 फीट चौड़ाई में दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 1023 की उत्तरी पूर्वी पाली जो प्रार्थीगण की आराजी के आगे पश्चिमी और दर्ज है जिसे प्रस्तावित [illegible] किया है को 20 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम दर्ज किये जाने का आदेश जारी फरमाया जावे। रास्ते में [illegible] राशि विपक्षी संख्या 1 को दिलाये जाने एवं रास्ते को सूचारू रूप से मौके पर खुलवाये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को जारी फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित

नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात में जाने हेतु आराजी संख्या 1026 बिलानाम में बना हुआ है तथा उक्त रास्ते से आगे विपक्षी ने रास्ता बन्द कर दिया है। मौके पर आराजी संख्या 1023 जो प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकार्ड है में रास्ते को बन्द कर दिया गया है। उक्त विवादित रास्ते के अलावा आस–पास कोई रास्ता नही है। पूर्व में आराजी संख्या 1023 में आवागमन चालु था किन्तु वर्तमान में नही जा रहा है। आराजी संख्या 1023 की उत्तरी मेड़ पर 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहता है जिसका रकबा 456 वर्गमीटर बनता है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 337726 / –रूपये प्रति है0 है। उक्त रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुआ फोन किया जो फोन पर रास्ता देने से इनकार कर दिया।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थीगण वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है जो तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थीगण कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थीगण की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा सूचना करने पर उपस्थित नही हुआ ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम टोकरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 1021 रकबा 0.63 है0, आराजी संख्या 1022 रकबा 0.02 है0गै.मु. में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1023 रकबा 2.16 है0 मे से रकबा 0.0456 है0 भूमि (यानि 456 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 337726 / –रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 15400 / –रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 30800 / –रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को सूचना भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:08 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—03 / 2023 (2023 / 35) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—चान्दी पत्नि बरदा भील निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भगवानलाल पिता बरदा भील निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नाथुलाल पिता मांगु बलाई निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम टोकरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 1021 रकबा 0.63 है0, आराजी संख्या 1022 रकबा 0.02 है0गै.मु. में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1023 रकबा 2.16 है0 मे से रकबा 0.0456 है0 भूमि (यानि 456 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 337726 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 15400 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 30800 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:08 IST
Reason: SelfAttested